भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 429
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः-कृषि मशीनीकरण

429. श्री कीर्ति आज़ाद

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कृषि मशीनीकरण का वर्तमान स्तर क्या है;

(ख) देश में कब तक 75% कृषि मशीनीकरण किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र बनाया गया है कि कृषि मशीनीकरण से लघु और सीमांत किसानों को लाभ मिले और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में कृषि मशीनीकरण की चुनौतियों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश में शत-प्रतिशत कृषि मशीनीकरण प्राप्त करने में प्रमुख चुनौतियां यदि कोई हैं, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर)

(क) से (च): विभिन्न राज्यों के किसानों द्वारा मशीनीकरण को अपनाना सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, भौगोलिक परिस्थितियों, उगाई जाने वाली फसलों, सिंचाई सुविधाओं आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के वर्ष 2020-21 के अनुमानों के अनुसार, देश में विभिन्न फसलों और उनके कृषि कार्यों में कृषि मशीनीकरण का स्तर अलग-अलग है। कुल मिलाकर, फसलों में संचालन-वार औसत मशीनीकरण का स्तर सीड-बेड तैयार करने के लिए 70%, बुवाई/रोपण/रोपाई के लिए 40%, निराई और इंटर-कल्चर के लिए 32% और कटाई एवं थ्रेसिंग के लिए 34% है, जिसके परिणामस्वरूप कुल औसत मशीनीकरण स्तर 47% है। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (वर्ष 2022-23) ने 'देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि मशीनीकरण में अनुसंधान और विकास' विषय पर अपनी 58वीं रिपोर्ट में वर्ष 2047 तक 75% मशीनीकरण स्तर प्राप्त करने पर बल दिया।

सरकार का जोर हमेशा समाज के सभी वर्गों के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने पर रहा है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाना है जहां फार्म पावर की उपलब्धता कम है और छोटी भूमि जोत और मशीनों के व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल आर्थिक स्थितियों की भरपाई के लिए 'कस्टम हायरिंग सेंटर' को बढ़ावा देना है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से वर्ष 2014-15 से एक केंद्र प्रायोजित योजना 'कृषि मशीनीकरण उप-मिशन' (एसएमएएम) लागू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर कृषि मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किराये के आधार पर मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) और ग्राम स्तरीय कृषि मशीनरी बैंक (एफएमबी) की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वायु प्रदूषण को दूर करने और फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वर्ष 2018-19 से फसल अवशेष प्रबंधन योजना लागू की गई है। सरकार ने कृषि उद्देश्य के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 15,000 ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में 'नमो ड्रोन दीदी' को मंजूरी दी है। एस.एम.ए.एम. (वर्ष 2018-19) के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से उभरकर सामने आई कृषि मशीनीकरण के स्तर को बढ़ाने की कुछ प्रमुख चुनौतियाँ; छोटी और खंडित भूमि जोत, पहाड़ी इलाके और विविध मिट्टी की स्थिति, विविध कृषि जलवायु परिस्थितियाँ और फसल पैटर्न, मशीनों की उच्च लागत आदि हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने पहले ही आई.सी.ए.आर. को वर्ष 2024-25 में 'भारत में कृषि मशीनीकरण और कस्टम हायरिंग की स्थिति का आकलन' पर एक अध्ययन सौंपा है।

*****